कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.)राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–प्रारं/नियु.–प्रको./नियु–2/982/टीजीटी–2016/लेवल–2/2016–17/2018 दिनांक :– 26/05/19

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
समस्त जिला परिषद।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा (मुख्यालय)
समस्त

विषयः– राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती–2016 (संशोधित) अन्तर्गत गैर–अनुसूचित क्षेत्र में लेवल–2 अंग्रेजी के पद पर विभिन्न न्यायिक निर्णयों की पालना में चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन/नियुक्ति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती–2016 (संशोधित) अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक लेवल–द्वितीय अंग्रेजी के पदों पर पूर्व में ऐसे अभ्यर्थी जिनके स्नातक के तीनों वर्षो में अंग्रेजी वैकल्पिक विषय नहीं रहा है, उनको तत्समय ही अपात्र किया जाकर नियुक्तियां नहीं दी गई। उक्त भर्ती अन्तर्गत अभ्यर्थियों द्वारा माननीय न्यायालय जोधपुर की एकलपीठ में दायर याचिका संख्या 13707/2018 कमल पुरोहित व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य तथा विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा समय–समय पर दायर याचिकाओं के क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों पर राज्य सरकार द्वारा जारी पालना स्वीकृति के अनुसरण में विभाग द्वारा कुल 104 अभ्यर्थियों का चयन किया जाकर दिनांक 26/5/19 को जिला आवंटित किये गए है (आदेश की प्रति संलग्न है) अतः इन चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति/पदस्थापन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें:–

1. पूर्व में चयनित अभ्यर्थी जिनके दस्तावेजों का सत्यापन किया जा चुका है उनके जिला यथावत रहने की स्थिति में उनको नियमानुसार नियुक्ति दी जाए।
2. पूर्व में चयनित ऐसे अभ्यर्थी जिनके दस्तावेजों का सत्यापन किया जा चुका है, किन्तु अब जिला परिवर्तित हुआ है, पूर्व की जिला परिषद द्वारा उनके अभिलेख नव–आवंटित जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भिजवाएँ जावें तथा तथा नव–आवंटित जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नियुक्ति कार्यवाही की जाये।
3. जिन अभ्यर्थियों का पूर्व में चयन नहीं हुआ है, ऐसे नवचयनित अभ्यर्थियों की पात्रता सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही की जाये।
4. जिन अभ्यर्थियों का ऑफलाईन आवेदन के आधार पर चयन किया गया है, उन अभ्यर्थियों को आवेदन–पत्र व अन्य दस्तावेज निदेशालय से प्राप्त कर इनकी पात्रता सुनिश्चित करते हुए नवचयनित अभ्यर्थियों के साथ भी काउन्सलिंग के माध्यम से नियुक्ति दी जाने की कार्यवाही की जायें।

उक्त चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं काउन्सलिंग हेतु आप अपने स्तर पर दस्तावेज सत्यापन/काउन्सलिंग हेतु तिथियों का निर्धारण कर सम्बन्धित अभ्यर्थियों का रजिस्टर्ड डाक /ई–मेल के माध्यम से सूचित करते हुए नियमानुसार पात्रता सुनिश्चित कर दिनांक 25.06.2019 तक पात्र अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी कराने की कार्यवाही करावें।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.)
राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–प्रारं/नियु.–प्रको./नियु–2/982/टीजीटी–2016/लेवल–2/2016–17/2018 दिनांक :– 26/05/19

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उपसचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा (विधि) जोधपुर/जयपुर
5. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.)
राजस्थान बीकानेर